



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273781
CG-DL-E-24062026-273781

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3164]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/ आषाढ 1, 1948

No. 3164]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ ASHADHA 1, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

का.आ. 3293(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 1069 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड(11), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 29 के 30+000 किमी० से 88+400 किमी. तक के भूखण्ड (वाराणसी - गाजीपुर खण्ड) के निर्माण (चोड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (3) के अधीन तारीख 25 मार्च 2026 को "अमर उजाला " एवं "दी टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि सक्षम प्राधिकारी को कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमो से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 के किमी⁰ 30+000 से किमी⁰ 88+400 तक (वाराणसी-गाजीपुर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित अतिरिक्त भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: गाज़ीपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सैदपुर					
गांव का नाम: महलिया					
1	202 क	निजी (निजी)	कृषि	0.00951	डा० कमाल अहमद पुत्र रसूल अहमद 0.00951
Total				0.00951	

[फा.सं. NHAI/11013/2014-LA-NH-29/Notif./PIU-Varanasi/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2026

S.O. 3293(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1069 (E), dated the 27th Februaury, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 29 on the stretch of land from Km. 30+000 to Km. 88+400 (Varanasi – Gazipur Section) in District Gazipur in the State of Uttar Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Amar Ujala” and “Times of India”, both dated the 25th March 2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been not received the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the additional land to be acquired with or without structure failing within the stretch of land from Km 30.000 to km 88.400 (Varanasi-Gazipur Section) of the National Highway No. 29 in the Gazipur District, state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: GHAZIPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Saidpur					
Village: Mahuliya					
1	202 KA	Private	Agriculture	0.00951	Dr. Kamal Ahamad S/o Rasul Ahamad 0.00951
Total				0.00951	

[F. No. NHAI/11013/2014-LA-NH-29/Notif./PIU-Varanasi/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director